जबरन बेदखली की सिथति में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की अनेक संधियों पर भारत सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। अर्थात ये कानून भारत में प्रभावी हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार बाèय है।

उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार से सम्बनिधित विशेष प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प (1966) -अनुच्छेद 11.1

2. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र (1966) -अनुच्छेद 2.3 एवं 17

3. सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1965) -अनुच्छेद 5

4. बाल अधिकार पर सम्मेलन (1989) -अनुच्छेद 27

5. सभी प्रवासी मजदूर एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1990) -अनुच्छेद 43.1

6. शरणार्थियों की सामाजिक सिथति से संब(सम्मेलन (1951) -अनुच्छेद 21

7. विकलांग लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन (2007) -अनुच्छेद 28 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र 1966 निर्धारित करता है -(अनुच्छेद 11.1)

यह संकल्प लेने वाली सभी राज्य सत्ताएं प्रत्येक व्यकित को स्वयं उसके लिए और उसके परिवार के लिए जीवन के एक उपयुक्त स्तर के अधिकार की मान्यता प्रदान करती हैं, जिसमें उपयुक्त भोजन, कपड़े एवं घर तथा जीने की सिथतियों में निरन्तर सुधार शामिल है। राज्य सत्ताएं इस अधिकार की अनुभूति को सुनिशिचत करने के लिए तथा इसके प्रभाव को मुक्त सहमति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आवश्यक महत्व दिलाने के लिए समुचित

कदम उठाएंगी।